लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4240

13 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम उत्पादन की वृद्धि

4240. श्री सोयम बापू रावः

श्री मोहनभाई कुंडारियाः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेशम उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान रेशम और इसके उत्पादों के निर्यात का देश-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा निर्यात किए जाने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान रेशम के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार रेशम उत्पादकों की रक्षा के लिए कोकून का मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेशम उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(छ) क्या सरकार का रेशम उत्पादकों की संरक्षा के लिए कोकून का मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करने के कदम उठाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य की तुलना में रेशम उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	लक्ष्य (एमटी)	उपलब्धि (एमटी)	% उपलब्धि
2016-17	32000	30348	94.8
2017-18	33840	31906	94.3
2018-19	35960	35468	98.6

रेशम उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों में मामूली कमी आई है। तथापि, देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेशम के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। उत्पादन में मामूली कमी के मुख्य कारण परंपरागत रेशम उत्पादक राज्यों में शहरीकरण और कम/छिटपुट वर्षा का होना है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशमी सामानों के निर्यात से आय और देश-वार अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान रेशम के निर्यात से आय

मदें	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
	करोड़ रु. में	मिलियन यूएस डॉलर	करोड़ रु. में	मिलियन यूएस डॉलर	करोड़ रु. में	मिलियन यूएस डॉलर
कोकून	0.32	0.05	0.05	0.01	0.01	0.002
कच्ची रेशम	0.44	0.07	-	-	1.36	0.19
रेशम यार्न	14.57	2.17	15.61	2.42	23.34	3.35
फैब्रिक और मेड-अप्स	1051.65	156.80	864.81	134.18	1022.43	145.85
रेडीमेड गारमेंटस	864.33	128.87	650.48	100.93	742.27	107.30
रेशमी कालीन	63.78	9.51	17.34	2.69	113.09	16.11
रेशमी अवशिष्ट	98.33	14.66	101.19	15.70	129.38	18.56
कुल	**2093.42**	**312.13**	**1649.48**	**255.93**	**2031.89**	**291.36**

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान रेशमी वस्तुओं के निर्यात से देश-वार आय:

#	**मदें**	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
		करोड़ रु.	मिलियन यूएस डॉलर	करोड़ रु.	मिलियन यूएस डॉलर	करोड़ रु.	मिलियन यूएस डॉलर
1.	संयुक्त अरब अमीरात	546.31	81.45	376.96	58.49	372.76	53.72
2.	यूएसए	263.85	39.34	218.26	33.87	372.66	53.07
3.	यूके	128.39	19.14	131.81	20.45	107.39	15.39
4.	चीन गणराज्य	89.17	13.30	78.56	12.19	102.12	14.60
5.	सूडान	46.63	6.95	41.33	6.41	97.68	14.20
6.	नाईजीरिया	43.52	6.49	52.62	8.16	96.37	13.74
7.	जर्मनी	107.78	16.07	63.08	9.79	72.25	10.29
8.	फ्रांस	78.61	11.72	57.23	8.88	67.24	9.58
9.	ऑस्ट्रेलिया	46.07	6.87	45.12	7.00	60.55	8.58
10.	इटली	73.72	10.99	53.35	8.28	57.78	8.22
	अन्य	669.37	99.80	531.17	82.42	625.09	89.97
	कुल	**2093.42**	**312.13**	**1649.48**	**255.93**	**2031.89**	**291.36**

(घ): पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान रेशम के उत्पादन हेतु आबंटित निधियां निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

योजना	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
सिल्क समग्र	154.01	161.50	120.00	181.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना	230.78	232.27	65.72	124.98

(ङ): रेशम का कोकून एक कृषि आधारित वस्तु होने के कारण जलवायु (वर्षा, सूखा) कीट और बीमारी की घटनाएं (जो कोकून के उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं), रेशमी उत्पादों की मांग, रेशम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आदि जैसे बहुत से कारक कोकून के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। चूंकि कोकून और कच्ची रेशम का विपणन राज्य का विषय है, इसलिए कुछ राज्य कोकून के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की स्थिति में किसानों को उनके कोकून की उपज के लिए मूल्य प्रोत्साहन (विनियमित कोकून बाजारों के माध्यम से) प्रदान करते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे परंपरागत रेशम उत्पादक राज्य किसानों और रीलरों के बीच खुली नीलामी की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इन वस्तुओं का विपणन पूर्णतया राज्य द्वारा किया जाता है।

(च): रेशम उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गए हैं।

(छ): उपर्युक्त भाग (ङ) में उल्लेख किया जा चुका है।

अनुबंध

रेशम उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु उठाए गए कदम

i. सीएसबी एक पुनर्गठित केंद्रीय क्षेत्र योजना 'सिल्क-समग्र' तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) की 38 परियोजनाओं के अंतर्गत किसान नर्सरी को बढ़ावा देकर, उन्नत मल्बरी किस्मों की बुआई, सिंचाई, इन्क्यूबेशन सुविधा वाले चॉकी रियरिंग केंद्र, रियरिंग हाउसेस के निर्माण, रियरिंग उपकरणों, संक्रमण हेतु डोर-टू-डोर सेवा एजेंटों आदि लाभार्थी उन्मुखी घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान करके किसानों के हितों की रक्षा करता है।

ii. कठिन परिश्रम को न्यूनतम करने हेतु बेहतर मलबरी/होस्ट प्लांट की किस्मों, रेशमकीट संकरों और प्रौद्योगिकी पैकेजों को विकसित करने के लिए कोकून उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में सुधार करने के लिए मजबूत अनुसंधान और विकास प्रणाली।

iii. बाइवोल्टाइन कोकून से 3ए-4ए ग्रेड वाली कच्ची रेशम का उत्पादन करने के लिए देश में स्वचालित रीलिंग मशीनों (एआरएम)/इकाइयों की स्थापना की गई हैं।

iv. केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकारें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), भारत सरकार के अन्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर विलयन के माध्यम से रेशम उत्पादन विकास के लिए अतिरिक्त निधियां जुटाती हैं।

v. कच्ची रेशम और रेशम फैब्रिक आयात पर क्रमश: 10% और 20% का मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है। यह घरेलू रेशम बुनाई बाजार क्षेत्रों को और मजबूत बनाता है तथा भारतीय रेशम निर्यात क्षेत्र को भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

****